संख्या-4/2015/596/पीएसएमएस/2015

दिनाँक 11 अप्रैल, 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

विषय- अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समूह-'क' एवं समूह-'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं के क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा किये गये सार्थक प्रयत्नों एवं के कार्यों की गुणात्मकता तथा प्राप्त परिणाम के आधार पर मूल्यांकन कर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन किया जायेगा-

1- मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने हेतु किये गये प्रयत्न एवं इस हेतु प्रदत्त योगदान।
2- शासन के विकास एजेण्डा के सूत्रों का निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं समयबद्ध क्रियान्वयन।
3- स्वीकृत बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियों का समयबद्ध रूप से निर्गत किया जाना, धनराशि के सदुपयोग की स्थिति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति।
4- महिलाओं तथा समाज के पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयास।

2. उपर्युक्त बिंदुओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये योगदान के संबंध में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

[redacted]

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित-

1- सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

http://srisatadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in